न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–123/2026
श्यामपुर भटहां थाना कांड संख्या–98/2025.
सरकार बनाम् हरेन्द्र प्रसाद उर्फ हरेन्द्र गुप्ता व अन्य
अंतर्गत धारा–316(3), 318(4), 3(5) of BNS & 3/4 D.P. Act
सी.एन.आर.नं0–BRSO01000753-2026

01. हरेन्द्र प्रसाद उर्फ हरेन्द्र गुप्ता, पिता–स्व0 छोटेलाल साह, उम्र करीब–59 वर्ष,
02. पवन कुमार, पिता–सीताराम राम, उम्र करीब–49 वर्ष,
03. पुष्पा देवी, पति–हरेन्द्र साह, उम्र करीब–49 वर्ष,
04. अनंत कुमार उर्फ आकाश कुमार, पिता–हरेन्द्र प्रसाद, उम्र करीब–23 वर्ष,
सभी निवासी ग्राम–सिकटा, थाना–सिकटां, जिला–पश्चिम चम्पारण.....आवेदकगण।

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता –श्री सर्वेश कुमार।
सूचक के निजी विद्वान अधिवक्ता –श्री अंजनी कुमार।
बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक –श्री सुरेश राय।

उपस्थितिः दीपक कुमार,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
23.04.2026

दिनांक–23.04.2026 **आदेश**

आवेदक अभियुक्तगण–01. हरेन्द्र प्रसाद उर्फ हरेन्द्र गुप्ता, 02. पवन कुमार, 03. पुष्पा देवी एवं 04. अनंत कुमार उर्फ आकाश कुमार, (सभी अभियुक्तगण), जिनका मामला श्यामपुर भटहां थाना कांड कांड संख्या–08/2026, अंतर्गत धारा–316(3), 318(4), 3(5) of BNS & 3/4 D.P. Act के लिए दर्ज किया गया है, में उनके द्वारा उक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की प्रत्याशा में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिनको उनके सम्बद्व विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वेश कुमार के द्वारा संचालित किया गया, जिस पर उनको तथा सूचक की ओर से उनके निजी विद्वान अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री सुरेश राय को सुना गया।

अभियोजन का मामला प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में यह है, जिसमें सूचक शम्भू कुमार, पे0–रामबालक साह, साकिन–नयागॉव, थाना–श्यामपुर भटहां, जिला–शिवहर ने श्यामपुर भटंहा थाना पर दिये गये अपने टंकित आवेदन में लिखा है कि–मैं अपनी पुत्री पल्लवी कुमारी की शादी सुरज कुमार, पे0–हरेन्द्र गुप्ता, ग्राम+थाना–सिकटा, जिला–पश्चिमी चम्पारण के साथ तय किया था। सुरज कुमार शिक्षक के पद पर राजकीय मध्य विद्यालय, सिरसिया के ही गॉव में नव–नियुक्त हुए हैं। सामाजिक स्तर पर दिनांक–13.03.2025 को उभय पक्ष के मध्य शादी संबंध की वार्तालाप हुई, जिसमें पन्द्रह लाख रुपये एवं एक बुलेट गाड़ी, सोने का अंगुठी, सोने का चैन एवं घरेलू उपयोग की वस्तुयें देने की बात तय हो गया तो मैंने बोला खाते में पैसा ले लिजिये तो वो बोला नहीं नगद लेंगे तब अपने पुत्र सोमनाथ कुमार के खाता से दिनांक–17.03.2025 को दो लाख रुपये निकाल कर नगद दिया। दिनांक–23.04.2025 को मेरे निजी नयागॉव स्थान पर वे लोग शादी का दिन तय करने आये तथा शादी का दिन 04 दिसम्बर 2025 रखा गया। उसके बाद दस लाख रुपये सोना खरीदने हेतु जब दिया तो विडियो बना रहे थे तब विडियो नहीं बनाने दिये तथा उपहार का आदान–प्रदान किया गया, जिसकी तस्वीर उपलब्ध है। पैदा देने के वक्त में ब्रिजबिहारी प्रसाद, पिता–स्व0 रामएकबाल साह, अमरनाथ गुप्ता, पिता–शंकर साह, भोला साह, पिता–राधेश्याम साह उस दिन विभिन्न रिश्तेदारों के खाता में अपने पुत्र के खाता से पैसा मॅगवाकर अपना पैसा भेज कर उनसे नगद प्रापत कर कुल दस लाख रुपये नगद हरेन्द्र गुप्ता, पे0 स्व0 छोटेलाल साह, पुष्पा देवी, पति–हरेन्द्र गुप्ता, आकाश कुमार, पे0–हरेन्द्र गुप्ता, सभी ग्राम+थाना–सिकटा, जिला–पश्चिमी चम्पारण को दिया। आकाश कुमार पैसा मिलाकर

लगातार/–

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–123/2026
श्यामपुर भटहां थाना कांड संख्या–98/2025.
सरकार बनाम् हरेन्द्र प्रसाद उर्फ हरेन्द्र गुप्ता व अन्य
अंतर्गत धारा–316(3), 318(4), 3(5) of BNS & 3/4 D.P. Act
सी.एन.आर.नं0–BRSO01000753-2026

दिनांक–23.04.2026 **–2–**

अपने पिता हरेन्द्र गुप्ता के हाथों में मिलान कर सही पाकर अपने पिताजी एवं माताजी को दे दिये। इधर आकर दिनांक–26.04.2025 को सीतामढ़ी जानकारी मंदिर के स्थित पुनौरा धाम में लड़की छेका का रश्म अदा किया गया, जिसकी भी तस्वीर एवं विडियो सुरक्षित है। कि हरेन्द्र गुप्ता एवं पवन साह, पिता–सीताराम साह, ग्राम–धर्मपुर, थाना–सिकटा अत्यधिक लोभ के कारण तय रकम बढ़ाकर पुत्र को शिक्षक पद पर नौकरी लग जाने के बाद पच्चीस लाख रुपये नगद एवं चार चक्का गाड़ी की मॉग मोबाईल नं0–9097015513 एवं 9631619377 से पैसा की मॉग कर रहे हैं तथा नहीं देने पर शादी से इंकार कर रहे हैं तथा बोलते हैं कि मैं अपने लड़का की शादी आपके यहॉ नहीं करूंगा, जबकि लड़का अपने मोबाईल नं0–8804320600 से मेरे घर के मोबाईल नं0–7250173157 पर लड़की से बातचीत भी किया करते थे। अतः दोषी व्यक्तियों के विरूद्व उचित कार्रवाई की जाये। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदकगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी अन्य वरीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक–हरेन्द्र गुप्ता के विरूद्व एक मामला–सिकटा थाना कांड संख्या–03/2014, धारा–406, 467, 468, 471/34 भा0द0वि0 दर्ज होने के अलावे अन्य आवेदकगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्राथमिकी में आवेदकगण के विरूद्व लगाये गये आरोप झूठा एवं निराधार है। उभय पक्षों के बीच प्रस्तुत वाद में राजी–खुशी से संधि हो चूका है, जिसके समर्थन में संधि–पत्र एवं अनुमति–पत्र की प्रति प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक अभियुक्तगण सक्षम जमानत बंध पत्र देने को तैयार है तथा उनके पलायन की कोई संभावना नही है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाये।

विद्वान लोक अभियोजक एवं सूचक के निजी विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों के बीच प्रस्तुत वाद में राजी–खुशी से सुलह–सलाह होने की बात का समर्थन करते हैं। सूचक भी न्यायालय के समक्ष सदेह उपस्थित हैं एवं सुलह की बात का समर्थन करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा प्राथमिकी एवं वाद से संबंधित मूल अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी एवं मूल अभिलेख पर उपलब्ध वाद दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त–01. हरेन्द्र प्रसाद उर्फ हरेन्द्र गुप्ता एवं आवेदक अभियुक्त–02. पवन कुमार प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं और प्राथमिकी के अभियुक्त कॉलम में भी इन्हीं दो व्यक्तियों का नाम उल्लेखित है, जबकि प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के आवेदक संख्या–03. पुष्पा देवी एवं आवेदक संख्या–04. अनंत कुमार उर्फ आकाश कुमार, जिनका नाम प्राथमिकी आवेदन एवं प्रस्तुत वाद के सूचक के द्वारा दिनांक–16.07.2025 को सम्बद्व विद्वान न्यायालय के समक्ष दाखिल किये गये विरोध–पत्र के अभियुक्तगण के कॉलम में वर्णित है, लेकिन प्राथमिकी के अभियुक्त कॉलम में इनका नाम वर्णित नहीं है, पर सूचक की पुत्री के साथ छेका हो जाने के बाद शादी के लिए दहेज में दिये गये तय राशि से और अत्यधिक राशि एवं सामग्री की मॉग किये जाने एवं मॉग की पूर्ति नहीं होने पर शादी करने से इंकार करने की बात कही जाती है। मूल अभिलेख पर उपलब्ध आरोप–पत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के आवेदक अभियुक्त संख्या–01. हरेन्द्र गुप्ता एवं आवेदक अभियुक्त संख्या–02. पवन गुप्ता के विरूद्व आरोप–पत्र संख्या–128/2025, दिनांक–18.08.2025 को समर्पित किया जा चुका है एवं उन्हें बंध–पत्र पर भी मुक्त किया जा चुका है, साथ ही सम्बद्व विद्वान न्यायालय के द्वारा दिनांक–24.01.2026 को आरोप

लगातार/–

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–123/2026
श्यामपुर भटहां थाना कांड संख्या–98/2025.
सरकार बनाम् हरेन्द्र प्रसाद उर्फ हरेन्द्र गुप्ता व अन्य
अंतर्गत धारा–316(3), 318(4), 3(5) of BNS & 3/4 D.P. Act
सी.एन.आर.नं0–BRSO01000753-2026

दिनांक–23.04.2026 **–3–**

–पत्रित धारा–316(3), 318(4), 3(5) of BNS & 3/4 D.P. Act के अंतर्गत इन दोनों आवेदक अभियुक्तों के विरूद्व संज्ञान भी लिया जा चुका है। वाद दैनिकी की कंडिका–33. में आवेदक अभियुक्त–हरेन्द्र प्रसाद उर्फ हरेन्द्र गुप्ता के विरूद्व इस कांड के अलावे पूर्व से एक अन्य मामला–सिकटा थाना कांड संख्या–03/2014, धारा–406, 467, 468, 471/34 भा0द0वि0 दर्ज होने एवं उक्त मामलें में आरोप–पत्र संख्या–13/2014 समर्पित किये जाने का तथ्य अंकित है, जबकि प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के आवेदक संख्या–03. पुष्पा देवी एवं आवेदक संख्या–04. आकाश कुमार उर्फ अनंत कुमार के पूर्व के अपराधिक इतिहास के संबंध में कोई भी तथ्य अंकित नहीं है, लेकिन आवेदकगण के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन के कंडिका–03. में वर्णित तथ्यों के अनुसार इन दोनों आवेदकों का पूर्व से कोई अपराधिक इतिहास नहीं होने का तथ्य अंकित किया गया है। आवेदकगण की ओर से दाखिल किये गये संधि ा–पत्र एवं अनुमति पत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से विदित होता है कि उभय पक्षों के बीच प्रस्तुत वाद में राजी–खुशी से सुलह–सलाह हो गया है एवं स्वयं सूचक के द्वारा भी न्यायालय के समक्ष सदेह उपस्थित होकर दोनों पक्षों के बीच सुलह होने की पुष्टि गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अन्य को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण–01. हरेन्द्र प्रसाद उर्फ हरेन्द्र गुप्ता, 02. पवन कुमार, 03. पुष्पा देवी एवं 04. अनंत कुमार उर्फ आकाश कुमार, में से प्रत्येक को आदेश की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर सक्षम विद्वान न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने या गिरफ्तार होने पर सम्बन्धित विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी के संतुष्टियोग्य मो0–10,000/–(दस हजार रूपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानत बंध–पत्र निष्पादित किये जाने पर धारा–482(2)बी0एन0एस0एस0 के शर्त के साथ अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश प्रदान किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्विकृत

ह0/–

प्रधान सत्र न्यायाधीश
शिवहर।
23.04.2026